**मै0 दून विंटेज डिस्टिलर्स द्वारा प्रस्तावित 58.0 के0एल0डी0 ग्रेन आधारित आसवानी तथा सह ऊर्जा प्लांट क्षमता 2.5 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृतः-**

मै0 दून विंटेज डिस्टिलर्स द्वारा प्रस्तावित 58.0 के0एल0डी0 ग्रेन आधारित आसवानी तथा सह ऊर्जा प्लांट क्षमता 2.5 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का प्रस्ताव ड्राफ्ट ई0आई0ए0 रिपोर्ट के साथ उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 तथा यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि की सूचना से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स व हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) में दिनांक 23.05.2023 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक-01)**

जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा नामित श्री बृजेश कुमार तिवारी, उप जिलाधिकारी भगवानपुर, जिला- हरिद्वार की अध्यक्षता में **दिनांक 28.06.2023** को **प्रातः 11:00 बजे** ग्राम- खेलड़ी, तहसील- भगवानपुर के प्रस्तावित स्थल पर लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। राज्य बोर्ड की तरफ से सुभाष चन्द पंवार, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है। **(संलग्नक-02)**

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और कहा गया कि उक्त लोक सुनवाई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 2006 तथा यथा संशोधित के अन्तर्गत की जा रही है तथा प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण के बाद जन समुदाय के समक्ष परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव सम्बन्धी उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित व मौखिक रूप से आमंत्रित की जाती हैं। तत्पश्चात् इसी अनुक्रम में प्रस्तावक के परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा परियोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसका सारांश निम्नवत है।

- प्रस्तावित परियोजना मै0 दून विंटेज डिस्टिलर्स द्वारा प्रस्तावित है जिसमें खाता सं0- 177 व 178, ग्राम खेलड़ी, तहसील- भगवानपुर, जनपद-हरिद्वार में 58.0 के0एल0डी0 क्षमता की एक ग्रेनबेस आसवानी तथा 2.5 मेगावाट क्षमता की सह ऊर्जा प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 यथा संशोधित के अनुसार क्षेणी 'B' में आच्छादित है, जिस हेतु लोक सुनवाई का प्राविधान है।
- प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल भूमि 33900 वर्ग मीटर (3.39 हैक्टेयर) क्रय की गयी है। परियोजना की कुल लागत 50 करोड़ रूपये हैं।
- प्रस्तावनुसार इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्रेन का प्रयोग कर Milling, Fermentation, Distillation व Dehydration प्रकियाओं का प्रयोग कर Rectified Spirit का उत्पादन किया जाना है।

- प्रस्तावनुसार इकाई से जनित जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनाई गयी है। जिसमें इकाई में कुल शुद्ध जल खपत 462 के0एल0डी0 जिसमें औद्योगिक खपत 450 के0एल0डी0 तथा घरेलू 12 के0एल0डी0 प्रस्तावित है।
- इकाई में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह (स्पेंट वाश) को Multi effect evaporator (MEE), Condensate Polishing Unit (CPU) के माध्यम से शुद्धिकृत कर शत् प्रतिशत् कूलिंग, फ्लोर वाशिंग तथा बागवानी हेतु प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। जबकि घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 08 के0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) की स्थापना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा शून्य उत्प्रवाह का प्रस्ताव दिया गया है। अर्थात प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित नहीं किया जाए।
- इकाई में वायु प्रदूषण संयंत्र के रूप में 20 टी0पी0एच0 क्षमता का (Rice Husk/ Bagasse based Boiler) प्रस्तावित है। जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था Bag Filter व मानकों के अनुरूप चिमनी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 750 के0वी0ए0 डी0जी0 सैट प्रस्तावित है। जिसमें ध्वनि व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मानकों के अनुरूप स्थापित की जानी प्रस्तावित है।
- इकाई में एक 2.5 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। इकाई में कुल 80 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित जन समुदाय से उनके मौखिक व लिखित सुझाव व आपत्तियां प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव व आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **श्री दिलशाद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, खेलड़ी** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के 200 मी0 दूरी पर स्कूल तथा 500 मी0 दूरी पर गांव स्थित है। इकाई स्थापना हेतु स्कूल के मानक क्या हैं तथा अवगत कराया गया कि उनके अनुभव के अनुसार आसवानी उद्योग की स्थापना से आस-पास दुगर्न्ध होगी, साथ ही पर्यावरण भी दूषित होगा। उक्त आसवानी इकाई की स्थापना कदापि न की जायें।

   **इकाई प्रतिनिधि श्री मनोज गर्ग** द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया कि उक्त प्रस्तावित आसवानी ग्रेनबेस है, जिसमें दुर्गन्ध की सम्भावना कम होगी साथ ही इकाई द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के मानकों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाएगी जिसमें किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित नहीं किया जाएगा।

2. **श्री मोहम्मद हुसैन निवासी खेलड़ी** द्वारा अवगत कराया गया कि शराब इकाई की स्थापना से आस-पास के गांवों के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा साथ ही दुर्गन्ध होने से पर्यावरण भी दूषित होगा, जिस कारण हम इकाई की स्थापना का विरोध करते हैं।

तत्पश्चात बैठक में उपस्थित सभी जन समुदाय उद्योग की स्थापना का विरोध करते हुए लोक सुनवाई परिसर से बाहर चले गये।

इसी दौरान उपस्थित जन समुदाय द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी, भगवानपुर को सम्बोधित करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित् किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर शराब इकाई की स्थापना से समीपस्थ स्थित स्कूल व गांव में निवासरत लगभग- 10 से 12 हजार व्यक्ति इकाई की दुगर्न्ध से प्रभावित होंगें। अतः उक्त स्थल पर शराब इकाई की स्थापना न की जाए। **(प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न)।**

सम्पूर्ण जन सुनवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियों रिकार्डिंग करायी गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई का समापन किया गया।

**संलग्नकः-**

1. **फोटोग्राफी -03 सैट (15 फोटो प्रति सैट)**
2. **विडियों रिकार्डिंग -03 डी0वी0डी0**
3. **उपस्थिति पंजिका -03 प्रतियां**
4. **प्रत्यावेदन -03 प्रतियां**

(सुभाष चन्द पंवार)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की
जिला-हरिद्वार।

(श्री बृजेश कुमार तिवारी)
उप जिलाधिकारी, भगवानपुर,
जिला- हरिद्वार।